



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04072026-274135  
CG-DL-E-04072026-274135

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3380]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 30, 2026/ आषाढ 9, 1948

No. 3380]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 30, 2026/ ASHADHA 9, 1948

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जून, 2026

सं. 21/2026-27

विषय: निर्यात सुविधा हेतु लचीली एवं लॉजिस्टिक मध्यस्थता (रिलीफ) के घटक II के तहत समय-सीमा बढ़ाने के लिए अधिसूचना सं. 65/2025-26 में संशोधन के संबंध में।

का.आ. 3515(अ).—समय-समय पर यथा संशोधित, विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 और 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा निर्यात संवर्धन मिशन (ईपीएम) के अन्तर्गत निर्यात सुविधा हेतु लचीली एवं लॉजिस्टिक्स मध्यस्थता (रिलीफ) से संबंधित अधिसूचना सं. 65/2025-26 दिनांक 19.03.2026. में संशोधन करती है।

2. अधिसूचना सं. 65/2025-26 के अनुलग्नक के पैरा 7.2 में घटक II के अंतर्गत पात्रता और वैधता मानदंड के अनुसार, उपयोग और व्यापार के लचीलेपन को बढ़ाने हेतु मध्यस्थता के अन्तर्गत वितरण अथवा ट्रांसशिपमेंट के लिए शिपमेंट हेतु पात्रता अवधि को 30 सितम्बर, 2026 तक बढ़ा दिया गया है।

3. अधिसूचना सं. 65/2025-26 दिनांक 19.03.2026 के अन्य सभी प्रावधान (समय-समय पर यथा संशोधित) अपरिवर्तित रहेंगे।

इस अधिसूचना का प्रभाव: भारतीय निर्यातकों की सहायता करने और पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न होने वाली लॉजिस्टिक चुनौतियों को कम करने हेतु ईपीएम रिलीफ मध्यस्थता के घटक- II के अन्तर्गत पात्रता समयसीमा को 30 सितंबर, 2026 तक बढ़ाया गया है।

[फा. सं. 01/02/02/एएम-27/ईपीएम/ई-45839]

लव अग्रवाल, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**

**(Department of Commerce)**

**(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th June 2026

**No. 21/2026-27**

**Subject: Amendment to Notification No. 65/2025-26 for extension of timelines under Component II of Resilience & Logistics Intervention for Export Facilitation (RELIEF) Intervention - reg.**

**S.O. 3515(E).**—In exercise of powers conferred under Sections 3 and 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992, read with paras 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2023, as amended from time to time, the Central Government hereby amends Notification No. 65/2025-26 dated 19.03.2026 relating to the Resilience & Logistics Intervention for Export Facilitation (RELIEF) under the Export Promotion Mission (EPM).

2. In Para 7.2 of Annexure to Notification No. 65/2025-26 of the eligibility and validity criteria under **Component II**, the eligibility period shall stand extended upto **30th September 2026** for shipments meant for delivery or transshipment under the intervention, to enhance utilization and facilitate trade resilience.

3. All other provisions of Notification No. 65/2025-26 dated 19.03.2026 (as amended from time to time) shall remain unchanged.

**Effect of this Notification:** The eligibility timelines under Component II of the EPM RELIEF intervention are extended up to 30th September 2026 to support Indian exporters and mitigate logistics challenges arising out of the continuing West Asia Crisis.

[F. No. 01/02/02/AM-27/EPM/E-45839]

LAV AGARWAL, Director General of Foreign Trade & Ex-officio Addl. Secy.